FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0200   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 12/09/2024 18:31 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 16/08/2024   Date To (दिनांक तक): 10/09/2024

   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 11:15 बजे   Time To (समय तक): 17:20 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/09/2024   Time (समय): 16:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय) 12/09/2024 18:31:56 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 430 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

   (b) Address(पता): KARYALAY VANIJIYAK KAR VIBHAG, DIST.UDAIPUR

   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANISH NALVAYA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LAHARSINGH NALVAYA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1973 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MAKAN NO.302 PARAS APARTMENT, BEDALA ROAD, BASERA COLONY, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MAKAN NO.302 PARAS APARTMENT, BEDALA ROAD, BASERA COLONY, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(i) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAVINDRA JAIN		पिता:JAWAHAR LAL JAIN	1. AARCHI ARBEET FLAT NO.301,HIRANMAGRI,UDAIPUR ,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	भारतीय चलन मुद्रा 1,00,000 रूपये एवं 7,00,000 रूपये डमी नोट	8,00,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	(चिल्ड्रन नोट) कुल 8,00,000 रूपये	8,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (इन्टेलिजेन्स) उदयपुर। विषय- कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै प्रार्थी मनीष नलवाया निवासी 302, पारस अपार्टमेन्ट बसेरा कालोनी बेदला रोड उदयपुर का रहने वाला हु। मेरे स्वयं का रिसोर्ट जिसका नाम रिसोर्ट ला कासा है वह सुखेर 200 फीट बाईपास रोड उदयपुर पर स्थित है। मेरे रिसोर्ट का GST No. 08AALPN2131J1ZO है। रिसोर्ट का कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुआ ओर विभिन्न प्रतिष्ठानों के जरिये लगभग 70 लाख रूपये का GST भुगतान वर्ष 2023-24 तक किया है। उक्त GST राशि पर ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) अर्थात भुगतान किये गए टैक्स का समायोजन का क्लेम किया है। इस बीच फरवरी 2024 में Rajasthan GST विभाग की टीम ने मेरे रिसोर्ट का सर्वे किया। सर्वे वाली टीम अधिकारी प्राची शेखावत ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद मांगे गए दस्तावेज उनके कार्यालय में जमा करवाए। साथ ही ये भी कहा कि आपको 70 लाख का प्ज्ब् नहीं मिलगेगा क्योंकि Immovable (अंचल) सम्पत्ती है। इस पर मैने बताया था कि ये रिसोर्ट स्ट्रक्चर movable है। जिस पर मैडम ने कहा कि उन्होने इस तरह का केस पहले डील नहीं किया है अतः इस पर आपके साथ हमारे संयुक्त आयुक्त श्री रविन्द्र जैन से डिसकस करने बाद ही विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिस पर मैने कार्यालय में जाकर मैडम के बताये समस्त दस्तावेज जमा करवा दिये थे। उसके बाद GST उदयपुर के संयुक्त आयुक्त श्री रविन्द्र जैन से मिला तब उन्होने मुझे बताया कि टैक्स ब्याज व पेन्लटी मिलाकर 90 लाख रूपये का दायित्व बनेगा तथा ITC का लाभ भी नहीं मिलेगा। श्री रविन्द्र जैन ने मुझे कहा कि वे मेरी मदद कर सकते है तथा टैक्स दायित्व की राशि को 90 लाख से घटाकर 10-12 लाख रूपये तक कर सकते है यदि 10 लाख रूपये रिश्वत के रूप में मै श्री रविन्द्र जैन को दे दू। इसके अलावा ब्याज और पेनल्टी की भी कुछ राशि लगेगी। श्री रविन्द्र जेन द्वारा मेरे रिसोर्ट की ITC क्लेम का फायदा देने के नाम से अवैध रूप से 10 लाख रूपये की रिश्वत मांगी जा रही है जो मै नहीं देना चाहता हूँ। मेरी उनसे न तो रंजिष है न ही कोई लेन देन बकायया है। मै इन भ्रष्ट अधिकारी श्री रविन्द्र जैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करवाने का श्रम करावे। स्थान- उदयपुर भवदीय दिनांक- 16.08.2024 एसडी (Manish Nalwaya) कार्यवाही पुलिस महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 16-08-2024 समय करीब 11.15 ए.एम. पर श्रीमान् राजेन्द्र प्रसाद गोयल उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेन्ज उदयपुर द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनु शेखावत को परिवादी श्री मनीष नलवाया निवासी उदयपुर के मोबाईल नम्बर सुपुर्द कर उससे रिपोर्ट प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देषित किया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत द्वारा परिवादी श्री मनीष नलवाया से सम्पर्क किया जो इस समय ब्यूरो चैकी इन्टें उदयपुर पर परिवादी श्री मनीष नलवाया पुत्र श्री लहरसिंह नलवाया उम्र 51 वर्ष निवासी मकान नम्बर 302 पारस अपार्टमेन्ट बसेरा कालोनी बेदला रोड़ उदयपुर उपस्थित होकर स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की थी। परिवादी मनीष नलवाया द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का आधार कार्ड कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया गया। जिस पर परिवादी से दरियाफत की गई तो उसने बताया कि मेरे द्वारा मेरे लॉ कासा रिसोर्ट का जो टेक्स वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक की राशि नब्बे लाख रूपये से घटाकर अब उसे 11-12 लाख रूपये तक कर देने एवं आगे से परेशान नही करने की एवज में दस लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग श्री रविन्द्र जैन जोईन्ट कमीश्नर वाणिज्यक कर विभाग उदयपुर द्वारा की गई तथा बताया की वाणिज्य कर विभाग में राशि चालान के माध्यम से ऑनलाईन जमा होता है किसी भी तरह से केश राशि जमा नही होती है। उक्त श्री रविन्द्र जैन बहुत ही भ्रष्ट है तथा बिना रिश्वत राशि लिये कोई भी काम नही करते है। उक्त दरियाफत पर मामला रिश्वत राशि माग सत्यापन कराये जाना पाया गया। इस पर परिवादी श्री मनीष नलवाया परिवादी ने बताया कि मैं अभी आवश्यक कार्य मे व्यस्त हू तथा आईन्दा आपके कार्यालय में रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 29-8-2024

को समय पर 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री मनीष नलवाया ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर पर मन् पुलिस निरीक्षक डा. सोनू शेखावत के समक्ष उपस्थित आया तथा परिवादी ने बताया कि मैंने आर्किटेक्ट से मेरे रिसोर्ट की आपिनियन रिपोर्ट तैयार करवा दी है तथा मांग सत्यापन वार्ता हेतु जब मैं श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त से सम्पर्क करूंगा तो उसके द्वारा मेरे से आपिनियन रिपोर्ट की मांग की जायेगी, इसलिये उक्त आपिनियन रिपोर्ट आर्किटेक्ट से तैयार करवाने में समय लग गया था। इस समय कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर मय खाली मैमोरी कार्ड को श्री दलपतसिंह वरिष्ठ सहायक से मंगवाकर परिवादी श्री मनीष नलवाया को उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि को भलीभांति समझाया गया तथा श्री दलपतसिंह वरिष्ठ सहायक व परिवादी श्री मनीष नलवाया से परिचय करवाया गया तथा श्री दलपतसिंह वरि. सहायक को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने की हिदायत दी, साथ ही सदिग्ध अधिकारी की आम शोहरत की जानकारी भी लाने की हिदायत दी जाकर समय करीब 11.10 ए.एम. पर परिवादी श्री मनीष नलवाया को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी सूपुर्द करते हुए परिवादी श्री मनीष नलवाया एवं श्री दलपतसिंह वरि. सहायक को परिवादी के निजी वाहन से रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु ब्यूरो कार्यालय से कार्यालय वाणिज्यक कर कार्यालय उदयपुर की ओर रवाना किया। तत्पष्चात समय करीब 12.15 पी.एम. पर श्री दलपतसिंह वरिष्ठ सहायक व परिवादी श्री मनीष नलवाया उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये और डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर श्री दलपत सिंह ने बताया कि ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर से रवाना शुदा पटेल सर्कील से आगे विशाल मेघा मार्केट के सामने वाणिज्यक कर विभाग उदयपुर कार्यालय पास मेन रोड़ पर पहुचे तत्पश्चात् समय करीब 11.22 ए.एम. पर मैने डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी श्री मनीष नलवाया को सूपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु वाणिज्यक कर विभाग उदयपुर कार्यालय की और रवाना किया तथा मैं कार्यालय के परिसर में ही एक तरफ मुकीम रहा। समय करीब 11.58 ए.एम. पर परिवादी श्री मनीष नलवाया मेरे पास आये तथा डिजिटल टेप रिकार्डर मुझे दी जिसे बन्द कर मैंने अपने पास रखी तथा परिवादी ने बताया कि मैने मेरे रिसोर्ट की आपिनियन रिपोर्ट जो मेरे रिसोर्ट की प्रोपर्टी मूवेबल होने के सम्बन्ध में थी, आर्किटेक्ट से तैयार करवाई गई थी जो श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त को पेश की गई थी तथा श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त वाणिज्यक कर द्वारा वहां पर उपस्थित श्रीमती प्राची शेखावत सहायक आयुक्त वाणिज्यक कर को मेरे रिसोर्ट की उक्त आपिनियन रिपोर्ट दी गई थी तथा श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त द्वारा मेरे ला कासा रिसोर्ट का जो टेक्स वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक की राशि नब्बे लाख रूपये से घटाकर अब उसे 11-12 लाख रूपये तक सिमित कर देने एवं आगे से परेशान नही करने की एवज में कुल देय टैक्स राशि 90 लाख की जगह 80 लाख की गणना कर उसका दस प्रतिशत के हिसाब से कुल आठ लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में दर्ज वार्ता को सुना गया तो रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया है। परिवादी श्री मनीष नलवाया ने बताया कि श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त वाणिज्यक कर द्वारा मुझे रिश्वत राशि आठ लाख रूपये लेकर सोमवार तक बुलाया है परन्तु मेरे पास रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था होने के उपरान्त ही मैं आपके कार्यालय में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी श्री मनीष नलवाया को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय से रूखसत किया गया तथा श्री दलपत सिंह वरिष्ठ सहायक से डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड पुनः सुरक्षित अलमारी में रखवाया गया था। तत्पश्चात दिनांक 10-9-2024 को समय करीब 01.15 पी.एम. पर परिवादी श्री मनीष नलवाया से हुई दूरभाष वार्ता अनुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की ब्यूरो कार्यालय में तलबी हेतु जरिये पत्रांक 1284 दिनांक 10.09.2024 से श्री दलपतसिंह वरिष्ठ सहायक को आवश्यक हिदायत कर श्रीमान् निदेशक निदेशालय खान एवं भूं विज्ञान विभाग, उदयपुर के लिए रवाना गया हो समय करीब 1.30 पी.एम. पर कार्यालय निदेशालय खान एवं भूं विज्ञान विभाग, उदयपुर के पत्रांक 1441 दिनाक 10.09.2024 से श्री राजेश बाबेल रसायनज्ञ एवं श्री गोपाललाल यादव रसायन सहायक को ब्यूरो में गवाहान के रूप में उपस्थित हेतु पाबन्द करने पत्र प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो उदयपुर को ट्रेप कार्यवाही में चैकी स्टाफ के दो कार्मिकों को भिजवाने हेतु निवेदन किया गया जिस पर उनके निर्देशानुसार श्री अशोक कुमार कान्सटेबल 07 एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया। इसके बाद समय करीब 01.50 पी.एम. पर कार्यालय निदेशालय खान एवं भूं विज्ञान विभाग उदयपुर से दो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री राजेश बाबेल रसायनज्ञ एवं श्री गोपाललाल यादव रसायन सहायक कार्यालय निदेशालय खान एवं भूं विज्ञान विभाग उदयपुर होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोठेनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मोखिक सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहों को कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 02.40 पी.एम. पर परिवादी श्री मनीष नलवाया ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। कार्यालय में बैठे हुए दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री मनीष नलवाया की रिपोर्ट दिनांक 16-08-24 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डिजिटल

टेप रिकाॅर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दिनांक 29.08.2024 को परिवादी व संदिग्ध श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चालु करवाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुनाया गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि होना बताया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता को लेपटाप में सेव किया गया। तत्पष्चात समय करीब 3.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मनीष नलवाया को आरोपी श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त वाणिज्यक कर विभाग उदयपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 200 नोट कुल 1,00,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा तथा 500-500 रूपये के डमी (चिल्ड्रन) नोट के 1400 नोट पेश किये। परिवादी श्री मनीष नलवाया द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री अशोक कुमार कानि. से कार्यालय कक्ष के मालखाने से रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाई जाकर श्री अशोक कुमार कानि. से टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोट व डमी नोटों के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा एक अखबार में लपेटकर एक छोटी सफेद थैली में रखकर उसे पीले रंग की थेली रखकर उस पर भी दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटो को थेली में रखकर परिवादी मनीष नलवाया को थेली जिसमें रिश्वत राशि रखी हुई को परिवादी की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाहान श्री गोपाल लाल यादव से लिवाई जाकर कोई अन्य शै नही छोड़ते हुए दिये गये। तत्पश्चात् श्री अजय कानि. से एक प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोल गिलास में कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल को रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री अशोक कुमार कानि. की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों व उसके लपेटे हुए अखबार तथा थैली पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी श्री रविन्द्र जैन ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री अजय कुमार कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः श्री मूनीर मोहम्मद सउनि को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सभलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मीस काल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं सभी को सुविधानुसार स्वयं के मोबाईल प्रयोग में लेने की हिदायत दी गई तथा श्री अशोक कुमार कानि. को ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 4.55 पी.एम. पर श्री मूनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक व श्री अजयकुमार कानि. को जरिये मोटरसाईकिल से, श्री मनीष नलवाया परिवादी को उसके निजी वाहन के साथ श्री दलपतसिंह वरिष्ठ सहायक को कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर के लिये रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक डा. सोनू शेखावत, श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राजेश बाबेल व श्री गोपाललाल यादव मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स सहित जरिये प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर से रवाना वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर कार्यालय की ओर रवाना होकर समय करीब 05.08 पी.एम. पर कार्यालय वाणिज्यक कर विभाग उदयपुर के पास पहुच कर वाहनों को एक तरफ साईड में खड़ा कर परिवादी श्री मनीष नलवाया को श्री दलपतसिंह वरिष्ठ सहायक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर चालु कर सुपुर्द कर कार्यालय वाणिज्यक कर विभाग उदयपुर कार्यालय की ओर रवाना किया गया तथा प्राईवेट वाहन को साईड में खडा करा मन् पुलिस निरीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। तत्पश्चात् समय करीब 05.20 पी.एम. पर परिवादी श्री मनीष नलवाया ने कार्यालय वाणिज्यक कर विभाग उदयपुर भवन के गेट पर खड़े होकर अपने सिर पर हाथ फैरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो के जाप्ता सहित परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की, उस डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को देने पर टेप रिकार्डर को बंद कर सुरक्षित हालात में मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रख लिया । तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि अभी-अभी श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त वाणिज्यक कर विभाग उदयपुर ने मेरे से उनकी मांग के अनुसार उनके कहने पर भारतीय चलन मुद्रा के एक लाख रूपये व चिल्ड्रन डमी नोट सात लाख रूपये कुल आठ लाख

रूपये जो एक पीले रंग की थैली में अखबार के अन्दर एक सफेद थेली में रखे हुए को थेली सहित उनके सामने स्थित कुर्सी पर रखे उसके बाद मैं वहां से निकलकर बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फैरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया है। इस पर परिवादी के साथ मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो का जाप्ता के साथ कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग की बिल्डिंग उदयपुर में प्रवेश किया तो उक्त भवन में बने एक कक्ष के बार रविन्द्र जैन जोईन्ट कमिष्नर की नेमप्लेट लगी हुई जिसमें परिवादी की निषादेही से प्रवेष किया तो कक्ष में एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसके सामने टेबल पर अन्य पत्रावलियां रखी हुई थी तथा टेबल के सामने की तरफ एक महिला बैठी हुई थी। उक्त व्यक्ति की ओर परिवादी ने ईषारा कर बताया कि यही श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त वाणिज्यक कर विभाग उदयपुर है जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक तथा स्वतंत्र गवाहान तथा टे्प पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री रविन्द्र जैन पुत्र श्री जवाहर लाल जैन उम्र 50 वर्ष निवासी मकान नम्बर 81 आजाद नगर जिला डूंगरपुर हाल निवास स्थल आर्ची आॅरबीट फ्लेट नम्बर 301, हिरणमगरी उदयपुर हाल संयुक्त आयुक्त वाणिज्यक कर विभाग जिला उदयपुर एवं कार्यालय कक्ष में सामने की तरफ बैठी महिला से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना प्राची षेखावत पत्नी श्री भानूप्रतापसिंह निवासी बाठेडा कालोनी मकान नम्बर 11, फतहपुरा चैराया, उदयपुर हाल सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यक कर विभाग जिला उदयपुर होना बताया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष आरोपी श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त से पूछा गया कि आपने अभी-अभी कुछ समय पूर्व परिवादी श्री मनीष नलवाया से आठ लाख रूपये रिष्वत राषि जो एक थेली में रखे हुए किस बात के लिये लिये है के संबंध में पुछने पर श्री रविन्द्र जैन ने बताया कि रिष्वत राषि आठ लाख रूपये की थैली के बारे में मुझे जानकारी नही है तथा श्री मनीष नलवाया के ला कासा रिसोर्ट के निर्माण के सम्बन्ध में जो पूर्व में इनके द्वारा मुवेबल से सम्बन्धित दस्तावेज जाच अधिकारी श्रीमती प्राची शेखावत को प्रस्तुत किये थे तत्पश्चात जाच अधिकारी श्रीमती प्राची शेखावत द्वारा श्री मनीष नलवाया को उनके ला कासा रिसोर्ट के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया था। पूर्व में श्री मनीष नलवाया मेरे पास आये थे जिनको मैने आर्किटेक्ट से उनके रिसोर्ट का निर्माण कार्य मूवेबल/अनमुवेबल होने की वास्तविक स्थिति का आपिनियन रिपोर्ट मांगी गई थी, अभी-अभी कुछ समय पूर्व श्री मनीष नलवाया के साथ श्रीमती प्राची शेखावत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी मेरे कक्ष में आये तथा मैंने इनके रिसोर्ट के टेक्स सम्बन्धित बातचीत की थी। मैंने ना तो रिश्वत राशि मांग की गई और ना ही ग्रहण की है। इस पर श्री मनीष नलवाया परिवादी ने बताया कि श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त वाणिज्यक कर अधिकारी झूंठ बोल रहे है। मेरे ला कासा रिसोर्ट का कस्ट्रक्शन वर्ष 2018 में शुरू हुआ ओर विभिन्न प्रतिष्ठानों के जरिये लगभग 70 लाख रूपये का GST भुगतान वर्ष 2023-24 तक किया है। उक्त GST राशि पर ITC (किसी भी माल की खरीद पर चुकाये गये टेक्स का समायोजन) क्लेम किया है। फरवरी 2024 में GST उदयपुर की टीम ने मेरे रिसोर्ट का सर्वे किया। सर्वे वाली टीम अधिकारी प्राची शेखावत ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद मांगे गए दस्तावेज उनके कार्यालय में जमा करवाए। साथ ही ये भी कहा कि आपको 70 लाख का ITC नहीं मिलगेगा क्योंकि Immovable (अंचल) सम्पत्ती है। इस पर मैने बताया था कि ये रिसोर्ट स्ट्रक्चर movable है। जिस पर मैडम ने कहा कि उन्होने इस तरह का केस पहले डील नहीं किया है अतः इस पर आपके साथ हमारे संयुक्त आयुक्त श्री रविन्द्र जेन से डिसकस करने बाद ही विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिस पर मैने कार्यालय में जाकर मैडम के बताये समस्त दस्तावेज जमा करवा दिये थे। उसके बाद GST उदयपुर के संयुक्त आयुक्त श्री रविन्द्र जैन से मिला तब उन्होने मुझे बताया कि टैक्स ब्याज व पेन्लटी मिलाकर 90 लाख रूपये का दायित्व बनेगा तथा ITC का लाभ भी नहीं मिलेगा। श्री रविन्द्र जैन ने मुझे कहा कि वे मेरी मदद कर सकते है तथा टैक्स दायित्व की राशि को 90 लाख से घटाकर 10-12 लाख रूपये तक कर सकते है यदि 10 लाख रूपये रिश्वत के रूप में मै श्री रविन्द्र जैन को दे दू। इसके अलावा ब्याज और पेनल्टी की भी कुछ राशि लगेगी। श्री रविन्द्र जेन द्वारा मेरे रिसोर्ट की ITC क्लेम का फायदा देने के नाम से अवैध रूप से 10 लाख रूपये की रिश्वत मांगी की गई। मेरे द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में आज दिनांक 10.09.2024 को 1,00,000 रूपये के भारतीय चलन मुद्रा के नोट पेश किये तथा शेष 7,00,000 रूपये के डमी नोट (चिल्ड्रन नोट) मेरे द्वारा ब्यूरो पर पेश किये गये। जिस पर आज दिनांक 10.09.2024 को मैं कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर में श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त से मिला ओर उनसे मेरे रिसोर्ट ला कासा के ITC क्लेम के सम्बन्ध में बातचीत की उक्त बातचीत के दौरान श्रीमती प्राची शेखावत सहायक वाणिज्यक कर अधिकारी भी उपस्थित आई थी, उसी दौरान मै श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त से बातचीत कर रहा था तो बातचीत के दौरान श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त की मांग के मुताबिक 8,00,000 रूपये जो अखबार में लपेट कर एक पीले रंग की थैली में रखे हुए देने लगा तो श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त द्वारा सामने रखी कुर्सी पर रिश्वत राशि रखने हेतु हाथ से इशारा कर कहा जिस पर मेरे द्वारा 8,00,000 रूपये जो अखबार में लपेटे हुए जो एक छोटी सफेद थेली में रखे हुए जो एक पीले रंग की थैली रखे थे उनको उनके ईषारे अनुसार मैने रिश्वत राशि की थैली कुर्सी पर रखी। तत्पश्चात् मै श्री रविन्द्र जैन के कार्यालय कक्ष से बाहर निकलकर आपको पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इसी प्रकार उपस्थित श्रीमती प्राची शेखावत सहायक वाणिज्यक कर अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में पुछने पर बताया कि मैं वर्ष 2021 से इसी कार्यालय में पदस्थापित हूँ तथा मेरे पास सर्कल-ए वार्ड-वन उदयपुर का चार्ज मेरे पास है। उक्त सर्कल में मेरे पास सुखेर, भुवाणा, अम्बेरी क्षैत्र में इस एरिया

से सम्बन्धित जाच का कार्य मेरे द्वारा ही निष्पादित किया जाता है। इसी प्रकार श्री मनीष नलवाया के ला कासा रिसोर्ट के जाच की अनुमति आदेश मेरे नाम पर हुए थे, तत्पष्चात् मैं व अन्य टीम द्वारा उक्त रिसोर्ट पर पहुचे, जहां पर मौके पर एक जाच फर्द तैयार की गई थी, तत्पष्चात् उक्त रिसोर्ट के सम्बन्ध मे श्री मनीष नलवाया से फर्म से सम्बन्धित लेजर व अन्य रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था। जिस पर श्री मनीष नलवाया द्वारा उक्त रिसोर्ट का लेजर/अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। चूंकि उक्त रिसोर्ट का कन्सट्रक्शन एक विशेष प्रकार से मुवेबल यूनिट्स को एसम्बल करने से बनाया गया है, इस प्रकार में इनएलिजेबल आई.टी.सी. के निर्धारण हेतु श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त से पत्रावली के साथ राय हेतु विचार विमर्श किया गया था तत्समय श्री मनीष नलवाया भी उपस्थित थे। उस समय मेरे द्वारा श्री मनीष नलवाया के ला कांसा रिसोर्ट के टेक्स पेनल्टी, ब्याज पेनल्टी की गणना कर रही थी उसी समय श्री रविन्द्र जैन एवं श्री मनीष नलवाया के मध्य रूपये पैसे के सम्बन्ध में वार्ता कर रहे थे लेकिन मैं टेक्स गणना में व्यस्त होने से मुझे इस बात की जानकारी नही है कि किस सन्दर्भ में वार्ता हो रही थी। जिस पर उक्त रिसोर्ट के अलग-अलग वस्तुओं को चिन्हित कर आई.टी.सी. रिवर्सल हेतु शा कोज नोटिस अलग-अलग वर्षवार वर्ष 2018 से 2023-24 तक के लिये जारी किया गया था जिसमें टेक्स राशि 11.76 लाख लगभग, ब्याज 7 लाख रूपये एवं पेनल्टी 4.32 लाख रूपये इस प्रकार लगभग 23.09 लाख रूपये आई.टी.सी. रिवर्सल योग्य शा कोज में निर्धारित किये गये है। आज दिनांक 10.09.2024 को भी श्री मनीष नलवाया कार्यालय में आये थे तथा मेरे समक्ष ही उन्होने श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त से टेक्स व नोटिस के सम्बन्ध में चर्चा की थी, इसी दौरान् श्री मनीष नलवाया ने एक पीले रंग की थेली श्री रविन्द्र जैन को बताते हुए उस थेली को पास की कुर्सी पर रख दिया। उक्त थेली में क्या था मुझे इसकी जानकारी नही है। मेरे द्वारा श्री मनीष नलवाया से उक्त रिसोर्ट के शा कोज रिवर्सल निर्धारण हेतु ना तो रिश्वत राशि की मांग की गई तथा ना ही ग्रहण की गई। मैं श्री मनीष नलवाया के साथ उनकी पत्रावली के साथ विचार विमर्श हेतु श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त के कक्ष में आई थी, मुझे उक्त घटनाक्रम के बाद जानकारी हुई की उक्त मामले मे श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त द्वारा श्री मनीष नलवाया से रिश्वत राशि की मांग की गई है तथा आठ लाख रूपये रिश्वत राशि के लिये है। मैं उक्त पत्रावली पर गणना कार्य में व्यस्त थी, मुझे रिश्वत राशि के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नही है तथा बताया कि श्री मनीष नलवाया के उक्त रिसोर्ट आई.टी.सी. रिवर्सल एवं टेक्स के सम्बन्ध में आठ लाख रूपये किसी प्रकार गणना कर जमा करने योग्य वसूली नही है। इस सम्बन्ध में श्री मनीष नलवाया से पुछा गया तो उन्होने बताया कि मेरे रिसोर्ट ला कासा के निरीक्षण के समय भी श्रीमती प्राची शेखावत सहायक आयुक्त वाणिज्यक कर विभाग उदयपुर से मिला था उसके पश्चात् मेरी रिसोर्ट के आई.टी.सी. क्लेम के बारे में भी श्रीमती प्राची शेखावत से मिलकर उनको मेरे रिसोर्ट के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर समय-समय पर उपलब्ध करवाये गये थे परन्तु मेरे उक्त रिसोर्ट के आई.टी.सी. क्लेम का लाभ दिलवाने के सम्बन्ध में कभी भी श्रीमती प्राची शेखावत द्वारा मेरे से कभी कोई रिश्वत राशि की मांग नही की तथा ना ही उक्त रिश्वत राशि के ग्रहण करने में उनकी भूमिका है। उक्त कार्य के एवज में श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त द्वारा ही मेरे से रिश्वत राशि आठ लाख रूपये की मांग की गई है तथा ग्रहण की है। श्रीमती प्राची शेखावत मेरे उक्त रिसोर्ट की पत्रावली की जाच कर रही थी जिसके कारण विचार विमर्श हेतु श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर मेरे व श्री रविन्द्र जैन से विचार विमर्श कर रही थीं। आरोपी श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर के कक्ष में श्री रविन्द्र जैन के सामने की कुर्सी पर रखी पीले रंग की थैली जिसमें रिश्वत राशि 8,00,000 रूपये रखे हुये थे, उक्त थैली को स्वतन्त्र गवाहा श्री राजेश बाबेल से खुलवाया गया तो थैली के अन्दर अखबार में लपेटे हुए 500-500 रूपये के 200 नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल 1,00,000 रूपये तथा 500-500 रूपये के 1400 डमी (चिल्ड्रन) नोट कुल 7,00,000 रूपये बरामद हुए जिसका मिलान स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी से करवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के 1,00,000 रूपये के नोटों के नम्बर का मिलान हूबहू होना पाया गया तथा 500-500 रूपये के 1400 डमी (चिल्ड्रन) नोट कुल 7,00,000 रूपये के होना पाया गया उक्त रिश्वत राशि के नोट मय थैली को गवाह श्री राजेश बाबेल के पास सुरक्षित रखवाये गये। चूकिं रिश्वत राशि रखी हुए थैली पर भी पूर्व में फिनोल्फ्थलीन पाउ्डर लगाया गया था तथा उक्त थैली जो कुर्सी पर रखी हुई मिली प्रकियानुसार रिश्वत राशि बरामदगी स्थल कुर्सी का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री अजय कुमार कान्सटेबल से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स में से एक नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकालाकर कार्यालय से एक पानी की बोतल भरकर मंगवाकर उक्त गिलास साफ में पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक द्वारा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में कपड़े की छिदीं को भीगोकर उक्त भीगी हुई छिदीं को कुर्सी पर घुमवाकर छिदीं को पुनः सोडियम कार्बोनेट पाउडर के भरे गिलास के घोल में धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से कराये जाकर मार्क C1 व C2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थितिन के समक्ष आरोपी श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त के टेबल के सामने की कुर्सी पर रखी थैली जिसके अन्दर अखबार में लपेटे हुए 500-500 रूपये के 200 नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल 1,00,000 रूपये तथा 500-500 रूपये के 1400 डमी (चिल्ड्रन) नोट कुल 7,00,000 रूपये बरामद हुए जिसका मिलान स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी से करवाया गया तो

भारतीय चलन मुद्रा के 1,00,000 रूपये के नोटों के नम्बर का मिलान हूबहू होना पाया गया तथा 500-500 रूपये के 1400 डमी (चिल्ड्रन) नोट कुल 7,00,000 रूपये बरामद हुए थे तत्पश्चात् पुनः दोनो गवाह से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो 500-500 रूपये 200 नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल एक लाख रूपये का मिलान हुबहु हुए। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि भारतीय चलन मुद्रा नोट 200 कुल राषि 1,00,000 रूपये को एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिलचिट बन्द करा मार्क "N" अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। तत्पष्चात् डमी नोट (चिल्ड्रन नोट) 1400 कुल 7,00,000 रूपये पर भी एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिलचिट बन्द करा मार्क "ND" अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। रिश्वत राशि एक थैली के अन्दर अखबार में लपेट कर आरोपी श्री रविन्द्र जैन को दिये जाने हेतु उपयोग में ली गई थी उक्त थैलियों मय अखबार पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिलचिट बन्द करा मार्क TH अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपी के मध्य जो वार्तालाप रिकार्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपी श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया।उक्त कार्यवाही की फर्द कुर्सी धुलाई पृथक से मुर्तिब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से तथा दिनांक 29.08.2024 को परिवादी श्री मनीष नलवाया व आरोपी श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर के मध्य उनके कार्यालय कक्ष में आमने सामने हुई रिश्वत राशि रूबरू वार्ता एवं दिनांक 10.09.2024 को परिवादी श्री मनीष नलवाय एवं आरोपी श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर के मध्य उनके कार्यालय कक्ष में हुई रूबरू रिश्वत राशि लेन देन वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी श्री मनीष नलवाया के रिसोर्ट ला कासा के टैक्स ब्याज व पेन्लटी मिलाकर की राशि को 90 लाख की जगह 80 लाख की गणना कर परिवादी के रिसोर्ट की ITC क्लेम का फायदा देने के नाम से अवैध रूप से उसका 10 प्रतिशत के हिसाब से राशि कुल 8,00,000 रूपये की मांग करना तथा मांग के अनुसार दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 10.09.2024 को भारतीय चलन मुद्रा के कुल 1,00,000 रूपये तथा 7,00,000 रूपये के डमी नोट इस प्रकार कुल 8,00,000 रूपये रिश्वत राशि कार्यालय कक्ष की टेबल के सामने की कुर्सी पर हाथ से ईशारा कर रखवाये गये जो दौराने कार्यवाही बरामद किये गये। उक्त कृत्य से आरोपी श्री रविन्द्र जैन संयुक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित है तथा श्रीमती प्राची शेखावत सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर द्वारा परिवादी श्री मनीष नलवाया के ला कासा रिसोर्ट के प्रकरण की जाच अधिकारी होते हुए दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन देन के वक्त तत्समय पत्रावली पर विचार विमर्श हेतु उपस्थित थी, जिनकी भूमिका संद्गिग्ध प्रतीत होने से विस्तृत अनुसंधान से ही स्पष्ट होगी। अतः आरोपी श्री रविन्द्र जैन पुत्र श्री जवाहर लाल जैन उम्र 50 वर्ष निवासी मकान नम्बर 81 आजाद नगर जिला डूंगरपुर हाल निवास स्थल आर्ची आरबीट फ्लेट नम्बर 301, हिरणमगरी उदयपुर हाल संयुक्त आयुक्त वाणिज्यक कर विभाग जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। भवदीय, (डां. सोनू शेखावत) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर।........कार्यवाही पुलिस .... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपार्ट डॉ.सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टे., उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट में जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रविन्द्र जैन पुत्र श्री जवाहर लाल जैन, निवासी मकान नम्बर 81, आजाद नगर जिला डूंगरपुर हाल निवास स्थल आर्ची ऑरबीट फ्लेट नम्बर 301, हिरणमगरी उदयपुर हाल संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, जिला उदयपुर के विरूद्ध प्राप्त होने पर श्रीमान महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार प्रकरण दिनांक 12-09-2024 को दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., उदयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनमचा आम रपट संख्या 199 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1074-77 दिनांक 12-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1- विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर। 2- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3- संयुक्त शासन सचिव, वित्त कर विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टे.,उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,[illegible]
Date: [illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	11/04/1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)